Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 16 अंक 12 30 दिसम्बर 2016 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से जाट आरक्षण बनाम सामाजिक भाईचारा

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि लोक भलाई दरकिनार रही, हर बात, हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है। यही हाल जाट आरक्षण मुद्दे पर हुआ। आरक्षण मुद्दे पर आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था जिसका प्रशासन को पूर्वज्ञात था लेकिन किसी के सिर पर जूं नहीं रेंगीं। जलती पर घी का काम कर राजनेताओं ने अपनी-अपनी रोटियां सेंकी। प्रशासनिक विफलताओं और ओच्छी राजनीति का परिणाम, इल्जाम का घड़ा जाटों के सिर पर फूटा, जिसके लिए सर्वविदित है कि जाट इल्जाम तो आगे बढ़कर भी ले लेते हैं। किसी ने किया, हुल्लड़बाजों के साथ हो लिए। वे सजग थे, लूट-खसूट, आगजनी, सभी असामाजिक कार्य किए और खिसक लिए। इस समुदाय ने गर्मी में सब कुछ अपने सर ले लिया। सर छोटूराम इसीलिए कहते थे - हे, भोले इंसान, एक तो बोलना सीख ले और दूसरे अपने दुश्मन को पहचान ले लेकिन इतनी समझ होती तो किसी स्याने की बात मानकर मर्यादा में रहते। ऐसा नहीं है कि हुल्लड़बाजी में जाट नवयुवा नहीं होगें, जरूर होगें, क्योंकि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं, लेकिन क्या सारा इन्ही का करा-धरा था?

सामाजिक भाईचारे में जाट समुदाय सर्वोपरि है। राष्ट्र रक्षा हेतू कुर्बानियां देने के लिए सबसे आगे हैं। विश्व का ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें इस समुदाय ने भाग नहीं लिया, कुर्बानियां दी और उल्टा उजड़ कहलाए। इसमें भी गंदी राजनीति का आलम है। एक फौजी आत्महत्या करता है, उसे एक करोड़ दिया जाता है लेकिन जो राष्ट्रहित में मर रहे हैं, उनकी चिता पर आंसू बहाने के लिए भी कोई नहीं जाता। छत्तीस बिरादरी के साथ रोटी का नाता केवल कृषक वर्ग का ही है, जिसमें बाहुल्य जाट समुदाय है। वैसे तो इसी समाज में दूसरे सभी समुदायों से जाति-पाति रंग भेद, धर्म की दीवारें तोड़ते हुए शादियां हो रही हैं और होती रहेगीं। जो जाट से ब्याही गई वह जाटणी बन गई और सामाजिक रूतबा भी मिला। खेत खलिहान में खाना इन्ही के घर से बनकर जाता है, जो खेत की मेढ़ पर बैठकर, सभी जाति, धर्मो के लोग एक साथ मिलकर एक सा खाना खाते हैं। इससे बढकर भाईचारे का कौन सा उदाहरण हो सकता है।

हर उत्पादक को अपने उत्पाद की कीमत तय करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन कृषक वर्ग ही ऐसा है जिसके उत्पाद की कीमत वातानुकूलित कमरों में बैठकर कोई और ही तैय करते हैं जिन्होने शायद उस फसल की पहचान भी ना हो, वे किसान की दिक्कत क्या जानेगें। इसलिए यह वर्ग दिन प्रति दिन पिछड़ता जा रहा है। हरेक को विदित है कि कृषि घाटे का व्यापार है लेकिन कभी किसी ने इनकी भलाई व उत्थान हेतू कोई पग नहीं उठाया बल्कि हर उल्टे काम के लिए जिम्मेदारी इनके सिर फूटती है और ये सहर्ष स्वीकार भी लेते हैं। आंदोलन में लूटपाट कोई कर गया और केस इन पर दर्ज हो गए। थोड़ा गहराई से सोचें तो कारण स्वत: स्पष्ट हो जाता है।

कृषक वर्ग भू-स्वामी होने के नाते सामाजिक प्रतिष्ठा रखता है क्योंकि बाकी सभी उस पर आश्रित हैं। खाना हरेक को चाहिए। कृषक के पल्ले बचे या ना बचे लेकिन दूसरों के भरण पोषण की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। यही दरियादिली उसकी कमजोरी आंक ली जाती है। उसकी गुरबत किसी को दिखाई नहीं देती और जान बूझकर देखना भी नहीं चाहते। भू-स्वामी का रूतबा, समाजिक दबदबा और उसकी

शेष पेज–2 पर

दीनबन्धु सर छोटूराम जयंती समारोह 29.01.2017

जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला द्वारा बसंत पंचमी एवं दीनबंधु सर छोटूराम की 136वीं जयंती के शुभ अवसर पर समारोह का आयोजन 29 जनवरी, 2017 को दीनबंधु सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–27, चण्डीगढ़ में किया जाएगा। हरियाणवी रागनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह के मुख्य आकर्षण होंगे। इस अवसर पर मेधावी छात्र, छात्राओं, खेलों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर मैकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जाट सभा के आजीवन सदस्य जो की जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। अतः वे अपना नाम, पता व विभाग का नाम तथा सेवानिवृत्त का महीना व दूरभाष नंबर जाट सभा चंडीगढ़ को 10 जनवरी, 2017 तक सूचित करें। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकुला द्वारा इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी। आप इस स्मारिका में निबंध या कविता भेजना चाहते हो तो 10 जनवरी, 2017 तक भेजें। इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे सह परिवार तथा अपने अन्य साथियों सहित समारोह में भाग लें।

जाट लहर पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई

शेष पेज–1

दबंगता को उसकी बहबूदगी-विकास और अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। वैसे भी गांव में नीम के पेड़ कम हो गए हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ गई है। जुबान की मिठास कम, शरीर में शुगर ज्यादा बढ़ रही है। किसी ने सत्य कहा है कि जब किताबें सड़क पर और जूते वातानुकूलित कमरों में बिकें तो समझ लें कि समाज को ज्ञान की नहीं, बल्कि जूतों की जरूरत है। किसान के भोलेपन का आलम यह है कि एक बार चौधरी साहब कहा और चौधरी लट्टू हो लिया, घरबार बेच तमाशा देखता है।

तथ्यों से पूर्व सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अंग्रज सरकार ने यही भूल की थी। मालिया बढ़ा दिया- किसान को तबाह कर दिया, लोगों ने खेती छोड़ दी और हर साल अकाल पड़ने लगे। अंग्रेज ने इस भयावह स्थिति को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। भू-स्वामी की ही छोड़ी हुई भूमि-सेना में भर्ती होने पर जागीरें देकर की, जिसने राय साहब, राय बहादुर जैसे खिताब लेने वालों की भी बंदूक इस समाज के कंधे पर चली। आज पुन: हम उसी रसातल की ओर बढ़ रहे हैं बल्कि कृषक और कृषि टूटने के कगार पर हैं। आत्महत्या कोई खुशी में नहीं करता।

कभी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद नौकरी, मांगन भूल ना जा, की कहावत आज पूर्णतया उल्टी हो चुकी है। मांग खाने वाले बाबा कुछ वर्षों में ही अरबों के स्वामी, वातानुकूलित आश्रम, लग्जरी गाड़ियां और भक्तों की भीड़ के साथ अकूंत संपदा के मालिक बन बैठते हैं। घंटे दो घंटे का घिसा-पिटा प्रवचन और फिर समाज का हर उल्टा काम उन्ही आश्रमों में होता है। राजनेता अपने वोट बैंक के लिए और प्रशासनिक अधिकारी अपने हितों के लिए यहां सेवादार बन जाते हैं और मांगना उत्तम व्यापार बन जाता है।

निखिद गिनी जाने वाली नौकरी - प्रशासक वर्ग आज निरंकुशता की पराकाष्ठा पर है। कृषक की वे क्या सुनेगें। राजनेता चमचागिरी और भ्रामिकता से अपने हित साधने के काम लाते हैं और आम जन तथा सैनिकों की पूरी तरह अनदेखी करते हैं। वे भूल जाते हैं कि देश की सरहदें राष्ट्रप्रेमी ही बचा रहे हैं। जिस दिन उल्टी सोच हो गई, सबका जीना मुहाल हो जाएगा। नौकरी पेशा आज भी तीसरे स्थान पर ही है। राजनेता, नौकशाह की जी-हजूरी कर आम जन का गला दबाना अपना धर्म मान लेते हैं। याद रखें -

गरीब को मत सता देना, वो रो देगा,
सुनेगा उसकी परमात्मा जड़ मूल से खो देगा।

सरकारें आती जाती रही लेकिन किसी ने कृषक वर्ग तथा जाट समुदाय की नहीं सुनी। परिणाम सर्व विदित है। आक्रोश बढ़ रहा है। सरकारी और सामाजिक विफलताओं की तरफ कोई नहीं देखता। हर कोई आक्रोश का कारण जाने बिना आंदोलन की हिंसकता का बखान कर रहा है। जानमाल का नुकसान को ही मुख्य रखता है- जो हुआ बहुत बुरा हुआ। जान-माल का नुकसान हुआ वह किसका हुआ, उससे जाट समुदाय भी अछूता नहीं है। इस बरसाती आग में भी कृषक वर्ग, आंदोलन में फंसे लोगों की चोरी छिपे मदद की, अपने घरों में पनाह दी, उनकी रोटी पानी की व्यवस्था की। अगर वे पूर्णतया हिंसा के लिए दोषी है तो फिर वे ऐसा सामाजिक भाईचारा क्यों निभा रहे हैं?

किसी व्यक्ति विशेष पर स्याही आदि फैंकने की घटना के संबंध मे शरारतपूर्ण, अनुशासनहीन कार्यवाही के तौर पर साधारण कार्यवाही की जानी चाहिए था ना कि इस प्रकार की घटना के संदर्भ में हिंसात्मक व अपराधिक केस दर्ज । श्री राजकुमार सैनी के उपर स्याही फैंकने की घटना के संबंध में एक विशेष समुदाय के चार युवकों पर आईपीसी की धारा 307 (इरादा कत्ल) व 153-ए,(देशद्रोह का षडयंत्र रचने) के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए। क्या यह न्यायोचित है? सांसद जिस प्रकार की भड़काऊ बयान बाजी कर रहे हैं, वह उचित है, उस पर ऐसी कार्यवाही 1यों नहीं?

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में मानवाधिकारों व मौलिक अधिकारों को ताक पर रखकर संपूर्ण राष्ट्र में आपातकालीन व्यवस्था लागू करके अपने विरोधियों व विपक्षी नेताओं के विरूद्ध मनमाने व दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपराधिक व देश द्रोह के मुकदमें दर्ज किए थे। इसक पश्चात किसी भी सरकार द्वारा किसी विशेष वर्ग एवं समुदाय के विरूद्ध छोटी मोटी घटनाओं पर इस प्रकार के तानाशाह ढंग से अपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करवाये। वर्तमान प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार की शह पर आरंभ से ही एक विशेष समुदाय के प्रति पक्षपातपूर्ण व भेदभाव का रवैया अपनाया है। सांसद श्री राजकुमार सैनी द्वारा 2 साल से लगातार एक जाति विशेष के विरूद्ध भड़काऊ व दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी करके समाज के भाईचारे का खराब किया जा रहा है, जिस पर प्रदेश की खाप पंचायतों व अनेकों समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विरोध जताने पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया गया। इस सांसद की लगातार भड़काऊ बयानबाजी एवं पूर्व नियोजित राजनैतिक शह से प्रदेश में एक जाति विशेष द्वारा अपने जायज हितों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चलाए गए आंदोलन को जनता में जातीय द्वेष पैदा करके हिंसक व उपद्रवी बना दिया गया और इस आंदोलन की आड़ में इस जाति के लगभग 65 युवकों के विरूद्ध हत्या, लूटपाट व देशद्रोह आदि के अपराधिक मुकदमें दर्ज कर जेल भेज दिया गया, जिनको 6 मास बीत जाने पर भी जमानत तक नहीं दी गई और इन जातीय दंगों में इस विशेष समुदाय के 30 से अधिक नौजवान मारे गए, जिन्हे कोई मुआवजा या कोई अन्य सहायता नहीं दी गई।

जन आक्रोश की परिणिती श्री सैनी पर स्याही फैंकने की मामूली घटना को राजनैतिक रंग देकर एक विशेष समुदाय के चार युवकों की मौके पर पीटाई, आईपीसी की धारा 307 व 153-ए के तहत घोर अपराधिक मुकदमें दर्ज करके पुलिस रिमांड लेकर घोर यातनाएं दी गई जबकि इस घटना पर केवल अनुशासनहीन व शरारतपूर्ण घटना के तौर पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। इस प्रकार की जन प्रतिनिधि विरोधी व विशेष व्यक्ति के विरूद्ध रोष की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। इससे पहले श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली पर स्याही व जूता फैंकने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे0पी0नड्डा पर जूता फैंकने, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुडडा व

पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल पर जूता फैंकने व अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश आदि पर जूता फैंकने की जन प्रतिनिधि पर ऐसी घटनाएं होती रहीं हैं, कभी किसी पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज नहीं हुआ।

लोकतंत्र में हर व्यक्ति व समाज को अपना हक मां÷ने का मौलिक अधिकार है लेकिन अगर किसी को संघर्ष व आंदोलन से भी उनका वाजिब हक ना मिले और यहां तक कि मिला हुआ अधिकार भी छिन जाए तो उसके आत्म स6मान व भावनाओं को ठेस पहुंचना स्वभाविक है। जाट वर्ग के साथ आरंभ से ही आरक्षण के मुद्दे पर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या पूरे देश में 36 प्रतिशत आंकी गई है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य आंकड़ों के मुताबिक ओ बी सी की संख्या पुरे राष्ट्र में 30 प्रतिशत है। इन्ही आंकड़ों को आधार मानकर आज ओ बी सी के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में सभी शिक्षा संस्थानों व सरकारी सेवाओं में करीब 75 जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल किया गया है। इसलिए जाट आरक्षण पंजाब व हरियाणा जैसे जाट बाहुल्य क्षेत्रों में और भी वैध व जायज बन जाता है। पूरे राष्ट्र में 8.25 करोड़ व हरियाणा में 29 प्रतिशत जाट वर्ग से हैं जिनका मुख्य धंधा खेती बाड़ी है, जो कि आज घाटे का धंधा बन गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात पिछड़े वर्गों, अनुसचित जन जातियों तथा अन्य गरीब वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। यह प्रावधान 1993 के ओ बी सी अधिनियम में भी किया गया है जिसकी प्रत्येक 10 वर्ष बाद समीक्षा करके, अन्य पात्र वर्गों को आरक्षण की सूचि में शामिल किया जाना था लेकिन राजनैतिक स्वार्थों से आज तक ओ बी सी जातियों की पुनः समीक्षा नहीं हो पाई जिस कारण जाट वर्ग जैसे पात्र वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया।

आरक्षण के प्रावधान के लिए भारत सरकार ने 29 जनवरी 1953 को संविधान की धारा 340 के तहत काका केलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया जिसने 20 मार्च 1995 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की लेकिन कमीशन अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए आर्थिक व सामाजिक विषयों के अध्ययन में उलझा रहा जिस कारण यह रिपोर्ट संसद में पेश न की जा सकी और जाट वर्ग की पिछड़ा वर्ग की आरक्षण की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद भारत सरकार ने 1 जनवरी 1979 को बी पी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की। लंबे समय के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री बी पी सिंह की सरकार द्वारा 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए धारा 15(4) के तहत केवल दो शर्तों-आर्थिक पिछड़ापन तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार माना जबकि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार को नकार दिया। इसलिए केवल दो ही शर्तों के आधार पर अहिर, गुर्जर, सैनी, लोहार, कुम्हार, सुनार, खाती व कंबोज आदि जातियों को पिछड़ा मानकर 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. वी पी सिंह की उप प्रधानमंत्री व किसान नेता जन नायक चौ0 देवीलाल के साथ अनबन होने के कारण रंजिशवश जाट वर्ग जैसी अन्य जातियां जो सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ-साथ आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है, को आरक्षण सं वंचित रखा, जिस कारण से समाज के अन्य वर्गों में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर काफी हंगामा हुआ और रोषस्वरूप असंखय युवाओं ने आत्म हत्याएं तक कर डाली।

संविधान की धारा-15 डी व 16(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों विशेषकर जिनका सरकारी सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में बहुत कम प्रतिनिधित्व है, के लिए ओ बी सी कोटे के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इस संदर्भ में जन नायक स्व0 चौधरी देवीलाल के नेतृत्व वाली सरकार ने स्व0 चौ0 हुकम सिंह के मुख्य मंत्री काल में हरियाणा प्रदेश में 7 सितंबर 1990 को हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन (जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग) की स्थापना की। इस आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण करके व सभी कानूनी पहलूओं पर विचार करके हरियाणा सरकार को 31 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार अहीर, बिश्नोई, मेव, गुर्जर, जाट, जट-सिक्ख, रोड़, त्यागी, सैनी व राजपूत जातियों को ओ बी सी कोटे के तहत आरक्षण सूचि में शामिल करने की सिफारिश की।

कमीशन की रिपोर्ट को राज्यमंत्री परिषद से अनुमोदित करवाकर दिनांक 2अप्रैल 1991 को अधिसूचना क्रमांक 395-एस.डबल्यु (1)-91 द्वारा यथावत अधिकसूचना जारी की गई, लेकिन उस समय सरकार बदल गई तथा नवगठित सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने द्वेष भावना से जाट, जट-सिक्ख, बिश्नोई, रोड़, त्यागी को छोड़कर आयोग द्वारा सिफारिश की गई अन्य सभी जातियों - अहीर, मेव, गुर्जर, सैनी आदि जातियों को ओ बी सी कोटे के तहत आरक्षण सूचि में शामिल कर दिया व सर्वोच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दायर करके आरक्षण की अधिसूचना को रद्द कर दिया जो कि इस वर्ग के प्रति राजनैतिक भेदभाव को स्पष्ट दर्शाता है।

इसके पश्चात लंबे समय तक विभिन्न जाट आरक्षण संघर्ष समितियों व खाप पंचायतों द्वारा प्रदेश में ओ0बी0सी0आरक्षण पाने के लिए सड़क यातायात, रेलवे ट्रैक पर धरने प्रदर्शन किए गए जिसमें कई युवाओं को पुलिसिया कार्यवाही से अपनी जान गंवानी पड़ी और प्रदेश में करोड़ों के राजकीय कोष का नुकसान हुआ। कांग्रेस की हुडडा सरकार ने जाते-जाते बैक की राजनीति पर आधे अधूरे मन से आरक्षण दे दिया जो न्यायालय में फेल हो गया।

वर्तमान हरियाणा सरकार ने भी पूर्व हुडडा सरकार की गलती को दोहराते हुए अलग से बैकवर्ड क्षेत्र में सी कैटेगरी बनाकर जाटों सहित 6 जातियों को पिछड़ी श्रेणी में आरक्षण दे दिया जो कि अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण के दायरे से ज्यादा हो जाता है।

यदि यह आरक्षण जाटों सहित अन्य जातियों को पिछड़ा वर्ग की बी कैटेगरी में ही 3 प्रतिशत का इजाफा करके दिया जाता तो यह आरक्षण की तय सीमा में ही यानि 47 से 50 प्रतिशत बनता जिस पर न्यायपालिका को कोई आपति नहीं होती। हरियाणा सरकार द्वारा जाटों को बैकवर्ड क्लास की अलग से बनाई गई 'सी' श्रेणी में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटे के संदर्भ में भी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा इस आरक्षण के संबंध में पास किए गए विधेयक को तुरंत मंत्रीमंडल द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके निवेदन के साथ इस एक्ट को भारतीय संविधान की 9वीं सूचि में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए था और प्राथमिकता के आधार पर इस पर उस समय चल रहे संसद के मानसून सत्र में कानूनी प्रक्रिया मुकम्मल करके केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही के लिए प्रयास किए जाने जरूरी थे लेकिन सरकार द्वारा जान बूझकर यह जरूरी कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं की गई। इससे पहले पूर्व हुडडा सरकार द्वारा भी इस वर्ग को स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत दिए गए आरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में पुरजोर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई जिससे इस वर्ग को मुश्किल से हासिल हुआ आरक्षण सफल होना मुश्किल लगता है, जो कि सरकार की दोषपूर्ण व पक्षपात नीति को दर्शाता है।

इसके इलावा प्रदेश सरकार द्वारा जाटों सहित 6 जातियों को बैकवर्ड 1लास की 'सी' श्रेणी में आरक्षण देने के लिए शुरू में ही समय रहते पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं किया गया और बाद में बहुत विलंब से इसके लिए आयोग गठित किया गया। आरक्षण पर मात्र औपचारिकता पूरी करके पूर्व हुडडा सरकार द्वारा गठित के0सी0गुप्ता पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनः बैकवर्ड क्लास की 'सी' श्रेणी में आरक्षण दे दिया गया जिसकी सिफारिशें व कार्यवाही को पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह सरकार की पूर्व नियोजित जाट वर्ग को बहकाने की कुटनीति को दर्शाता है जिस कारण यह मामला फिर से कानूनी दावपेंच में उलझ गया है। सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों से आहत जाट वर्ग द्वारा फरवरी माह में शुरू किया गया आरक्षण आंदोलन सरकार व पुलिस प्रशासन की असक्षमता व विफलताओं के कारण इस वर्ग को इसका वाजिब हक दिलाने की बजाए इसके गौरवशाली सामाजिक रूतबे के लिए बदनामी का सबब बना दिया गया। इस आंदोलन में 30 निर्दोष व्यक्ति मारे गए और लगभग 2 हजार व्यक्तियों पर पिक एण्ड चूज नीति के तहत मुकद्दमें दर्ज कर दिए गए।

यह हर्ष का विषय है कि इस माह में जाट आरक्षण आंदोलन 15 दिनों तक पूर्णतया शांति व सदभावनापूर्ण माहोल में कानून का पालन करते हुए चलाया गया जो कि इसके आत्म सम्मान पूर्वक व गौरवशाली छवि के साथ संयम, धैर्य व सदभावनापूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। यह आंदोलन सरकार व प्रशासन के आश्वासन के बाद 31 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया लेकिन अगर सरकार ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे का कोई सकारात्मक समाधन निकालना चाहिए अन्यथा स्थिति विस्फोटक होने की संभावना है। कांग्रेस की भूमिका सदा संदिग्ध रही है।

वर्ष 1991 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित स्टेट कमीशन ने सर्वे करके रिपोर्ट दी थी कि जाट सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं फिर भी राजस्थान में जाटों को 27 अक्तुबर 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अधिसूचना जारी करके आरक्षण की सूचि में शामिल कर दिया गया। जाट आरक्षण के विरोध में आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रचार किया जाता है कि जाटों को ओ0बी0सी0 कोटे में शामिल करने से आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय ने भी 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी व अन्य केस में निर्णय दिया था कि संविधान की धारा 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता। इस संदर्भ में यहां वर्णित करना उचित होगा कि तामिलनाडू सरकार समय-समय पर बाहुल्य जातियों की मांग पर सरकारी सेवाओं व शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाती रही है और वर्तमान तालिनाडू में सरकारी सेवाओं में 69 प्रतिशत आरक्षण है और तामिलनाडू सरकार द्वारा 19 जुलाई 1994 को राज्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति अधिनियम 1993 अधिनियम 45 आफ 1994 के तौर पर पारित किया गया है। इसलिए सरकार द्वारा जाट आरक्षण की कानूनी विसंगतियों को दूर करके हरियाणा में भी आरक्षण पुनः बहाल किया जा सकता है।

वास्तव में केंद्रीय सरकार के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा एक किसान कोटा है जो कि जाट वर्ग के इलावा गुर्ज्जर, सैनी, अहीर, बिश्नोई, बैरागी, लबाना व कंबोज आदि सभी काश्तकार जातियों के लिए बनाया गया है और जाट वर्ग अपने जैसी इन सभी जातियों के लिए सदैव आरक्षण की न्यायोचित मांग करता रहा है और इस वर्ग ने हमेशा अन्य सभी जातियों को आरक्षण दिलाने में भरपूर सहयोग दिया है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग कुछ राजनैतिक ताकतों व स्वार्थी राजनीतिज्ञों के बहकावे में आकर जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आज समय की जरूरत है कि केंद्रीय व प्रदेश सरकार को अपनी सूझबूझ व विवेक से जाट आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करके किसान आरक्षण के तौर पर जाट वर्ग के लिए ओ0बी0सी0 जाट आरक्षण को पुनः लागू करना चाहिए ताकि गौरवमयी इतिहास के स्वामी रणबांकूरे भी समाज के दूसरे तबकों के बराबर आ सकेंऔर राष्ट्र प्रगति की सीढ़ी चढ़ सके। यही राष्ट्रहित है और हम सबकी अभिलाषा।

जाट समुदाय इसी समाज इसी राष्ट्र का हिस्सा है। जब कृषि और सीमा दोनों पर अग्रणीय हैं तो फिर न्याय में भी उचित स्थान मिले। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति नहीं अपितू सहानुभूति की जरूरत है ताकि सीमा का प्रहरी और अन्नदाता अपनी भूमिका बखूबी निभाता रहे।

डा0 महेन्द्र सिंह मलिक
आई.पी.एस., सेवानिवृत,
प्रधान जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला एवं
अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति

RATIONING OF CASH FLOW

- R.N.Malik

Demonetization is now 42 days old on 20.12.2016. The financial system is incomplete turmoil. There are unending queues before the banks and ATMs. Most ATMs are without cash. 90 people died while standing in queues. There is no financial aid to the berieved families the Govt. side and relatives are filing claims in the courts. Few intelligent bank managers introduced the token system to avoid long queues. But strangely other banks did not adopt this simple procedure to avoid unnecessary embarrassment for the banks and the Govt. RBI says that new currency notes worth Rs. 5 lakh crore have been distributed so far which constitute 45% of the total value ofold currency notes in circulation before Nov 8. But 45% satisfaction is nowhere visible in the country so far. Raids and seizures indicate that Natwarlals have been able to swindle new currency notes worth crores and crores of rupees inconnivance with bank officials. People are now aghast as theybelieved that corruption in banking sector was minimum as compared to Govt. offices. But now banking supersedes every other sector in this race. What is most surprising and shocking is the fact of fearlessness and audacity shown by banking officials in swindling such large sums of money under the very nose of RBI & Govt. of India. Banks played all possible dirty tricks and Axis Bank is now the mother of all the thieves. Old currency notes were deposited in fake accounts of bogus companies and new currency notes were exchanged in return. Wheelers and dealers had a field day. One could never imagine that banks could betray people's trust in the most brazenway. Now people are inclined to believe that cash swindled by bank officials may constitute 50% of the cash received or even more. Had the entire cash of Rs. 5lakh crore been distributed uniformly and honestly then our ATMs would not have gone dry. Obliviously banks are primarily responsible for failing the demonetization program of the Govt. Supreme Court is also seized of the matter and has setup the 5 Judges Constitutional Bench to examine the validity of demonetization notification .

The basic mistake committed by the Govt. was that it printed only 2000 rupee notes instead of usual 1000 or 500 denominations. The second mistake was that the Govt. did not make some kind of arrangement by which the patients could make payments in private hospitals either in old notes or cheques. Presently people start making beeline before the banks since early chilly morning. Banks managers give only a single 2000 rupee note to 60-100 persons per day. Only 50% villages have banks within their boundaries.There are large areas where a single bank covers 10 villages. Now farmers cannot purchase fertilizers and other agricultural inputs as traders don't accept their cheques for fear of bouncing. Most affected people are the daily wage workers employed in farms, factories and unorganized sector. They have left (as in Ludhiana) for their parental villages. Labourers of civil contactors have also made similar exitsafter failing to get their wages in cash payments. Even MD of DMRC admits that progress of phase-3 program has been greatly affected because of Notebandi. There is a depressing scenario all-around and now it is your own choice to call it recession or depression of economy. The trajectory of GDP growth has been virtually derailed for the time being and it may take unknown time to be back on the rails.

The Prime Minister has become the butt of acerbic criticism for monumental mismanagement of currency flow and the goodwill reservoir is evaporating day-by-day. Initial reaction of Supreme Court on the very first day of the hearing was, "There may be riots if remedial measures are not taken instantly." Now general feeling of the common man is that people will tolerate this drudgery maximum by 1stweek of January, 2017.Prescience of Supreme Court bench may come true if adequate cash flow is not ensured by that time.Consequently, the whole nation is now standing at the cross-roads. However, both the Finance Minister and Revenue Secretary reassure that the situation will ease considerably by 1stweek of January, 2017. If that is so, then people will forget all the pains tolerated so far.Let us see how people wish each other on the New Year Day.

It is not clear if the Finance Minister was in the loop or not. Probably RSS ideologue Guruswamy propelled the PM to go in for demonetization. Now he says that even new 2000-rupee notes may also be demonetized in future.Originally the PM and his small team probably planned that out of old 500 & 1000-rupee currency notes worth Rs. 14.5lakh crore (86% of the total value of currency float) only notes worth Rs. 11lakh crore were in circulation and printing of new currency notes worth Rs. 8lakh crore would suffice. Balance Rs. 3lakh crore would be compensated by accelerating the payments through checks/credit cards. The team also thought that demonetization program will be able to neutralize atleast Rs.3lakh crore of black money. But all these calculations have gone awry. Now it seems that deposits of old currency notes may even exceed Rs. 14.5lakh crore. This means that banks have accepted spurious currency notes as well. The cost of printing new notes is around Rupees 20,000 crore ,i.e. equal to the cost of 80kms of metro line.Now everybody puts the unanswerable question," What is the gain of this mammoth and costly exercise"!

Soon after the cessation of Second World War, Churchill asked his Generals, "Can we throw Russians back to their own borders to save Poland for which we had to declare war against Germany!" The Generals unanimously replied, "Sir, the idea is fantastic but impossible." Same is the case in respect of demonetization of higher currency notes.

Demonetization is a case of good project but badly executed like prohibition in 1996 in Haryana, attack on Bhinderawala in 1984 and Family Planning during emergency. NCP leader

Sharad Pawar is very right when he says ," Operation is good but the patient died on the table". One should attack the demon only when all preparations have been made in advance to avoid disastrous results. Remember the impromptu statement made by Shri. Jawaharlal Nehru in Chennai that led to Chinese attack on Indian borders in 1962. An identical mistake has been committed by the present Prime Minister now.

But look at the flip side also. The black economy is growing exponentially for the last 45 years. Has any govt. done anything to control its growth till Nov 8, 2016. Has any critic given an alternative suggestion to arrest this growth while criticizing the PM. In other words, we are indirectly standing on the side of black money holders. That is why the common man is still in praise of PM inspite of all the hardships he is facing. He says, "Atleast this PM has dared to touch the black money holders which nobody has done in the past."

Now look at the extent of degeneration or decadence of our own educated society. The country is now being ruled by political mafia in league with bureaucracy and business world for the last 4 decades. There is a business of Rs.1000 crores in number 2 in Sadar Bazar, Delhi every night. Three centers of black money operation are the tables of politicians, officials and businessmen and their associates (film actors, electronic media, senior advocates etc.). Look how bank officials have managed to swindle new currency notes. How politicians have managed to exchange old currency notes with offerings in Gurudwaras and temples. Politicians and senior officers changed old currency notes with 100/50 rupee notes at Roadways depots and Railway cash counters. Cash collection at ISBT Delhi alone is Rs. 2 crore per day. These operations have led the 100/50 Rupee notes out of circulation and hoarded in the homes of politicians and officials. The bottom line is that the fence is eating the crops. That is why the common man questions, "Is it not our moral duty to assist the program of unearthing the black money stock. Why only blame the PM for this fiasco! " Only the CM of Bihar has shown the guts to support the demonetisation process.

The winter session of the Parliament has been completely washed out for no reasons.This is the darkest period of Indian Democracy. MPs have violated their oath of membership and president should dissolve both the houses on this ground alone. Speaker / Chairman made no effort to reconcile the stands of warring groups or give its own ruling if discussions could be held under rule 186. The opposition parties could have moved the Motion of Known-Confidence and get the voting at the end of the debate. But it appears that both the government and Opposition parties wanted the Session to be washed out. This is the state of affairs in our country and the country is being ruled by a political mafia.

Whole demonetization exercise has thrown out one stark conclusion i.e. the country is being ruled by an extreme corrupt system. Are we not a nation of crooks?(Issue of advantages/disadvantages will be discussed next month).

ऊर्जा का अनोखा स्रोत - गुड़ के 15 गुण

-डॉ. अंशुल जयभरत

स्वाद में मीठा और तासीर में गर्म गुड़ सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक होता है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. अंशुल जयभरत ने बताये गुड़ के निम्नलिखित 15 फायदे।

1. गुड़ शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करता है। आंतों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है।
2. यह शरीर में मौजूद नुकसानदायक टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर लिवर की सफाई करता है। शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो गुड़ जरूर खाएं।
3. शरीर में खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि गुड़ आयरन का प्रमुख स्रोत है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के टोटल काउंट को भी बढ़ाता है।
4. इससे खून साफ होता है। इसका कम मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से रक्त साफ होता है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
5. सर्दी–जुकाम होने पर गुड़ को गर्म पानी में मिलाकर पिएं। चाहें तो चाय में चीनी की बजाय गुड़ डालें। तासीर से गर्म गुड़ सर्दी–जुकाम में आराम देता है।
6. इससे भरपूर मात्रा में एंटी–ऑक्सीडेंट्स और मिनरल जैसे जिंक एवं सेलेनियम मौजूद होते हैं, जो फ्री–रैडिकल को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है।
7. यदि जोड़ों में दर्द होता है तो गुड़ को अदरक या एक गिलास दूध के साथ खाने से दर्द से छुटकारा मिलता है। इससे हड्डियां मजबूत होने के साथ–साथ अर्थाराइटिस भी नहीं होता है।
8. गुड़ एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाईड्रेट है, जो शरीर को धीरे–धीरे, लेकिन लंबे समय तक के लिए ऊर्जावान बनाए रखता है। शुगर का स्तर जल्दी नहीं बढ़ता है।
9. इसके सेवन से सांस से संबंधित समस्याओं जैसे अस्थमा, ब्रोनकाइटिस से बचाव होता है। तिल के साथ इसे खाने से श्वसन प्रणाली को लाभ होता है।
10. पीरियड्स में होने वाले दर्द, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स से बचने के लिए गुड़ खाएं। यह एन्डॉर्फिन्स रिलीज करता है, जो शरीर को आराम पहुंचाता है।
11. कील–मुंहासे एवं एक्ने की समस्या भी दूर करता है। गुड़ खून से टॉक्सिन दूर होते हैं, जिससे त्वचा दमकती है। मुंहासों से भी छूटकारा मिलता है।
12. कभी गला बैठने के साथ–साथ आवाज जकड़ जाए, तो पके हुए चावल में कुड़ मिलाकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक होता है। आवाज भी खुल जाती है।
13. गुड़ खाने से याद करने की क्षमता भी विकसित होती है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से दिमाग लंबी उम्र तक सक्रिय बना रहता है।
14. इसे एक बेहतर मूड बूस्टर भी माना गया है। इसके अलावा माइग्रेन की समस्या में भी गुड़ फायदा पहुंचाता है।
15. जिनका वजन अधिक हो, उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए। यह शरीर में जल के अवधारण को कम करके शरीर के वनज को नियंत्रित करता है।

महाराजा सूरजमल का बलिदान : तथ्यात्मक विश्लेषण

- डॉ. राजेंद्र कुमार

हमारे यहां महापुरुषों को उनके जन्म दिवस पर स्मरण करने की परंपरा रही है, हम व्यक्ति के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। मृत्यु दिवस को हम पुण्य तिथि तो कहते हैं पर उसे 'मनाते' नहीं। किसी–किसी महापुरुष के जीवन के साथ–साथ उसका बलिदान दिवस भी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हो जाता है। बलिदान यद्यपि असामयिक होता है, किन्तु उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति अपने अधूरे कार्यों को पीछे छोड़ जाता है और उसकी मृत्यु ओर इंगित करती है कि उसके पश्चात आने वाली पीढ़ियां उसके छोड़े गये इन अधूरे कार्यों को पूर्ण करें। महाराजा सूरजमल भी इसके अपवाद नहीं हैं।

पानीपत की तीसरी लड़ाई ने हिन्दुस्तान की प्रत्येक महत्वपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया था। अपने बुद्धि–कौशल से तटस्थ रहकर नीति निपुण महाराजा सूरजमल ने अपने जमाने के दुर्जेय अहमदशाह अब्दाली के सामने न तो सिर झुकाया, न घुटने टेके। अब्दाली भी उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की अदूरदर्शिता और जिद के चलते और महाराजा सूरजमल की बात न मानने के कारण मराठे अब्दाली से पनीपत में बुरी तरह पराजित हुए, जिसके बाद देश में कुछ समय के लिए तन्द्रापूर्ण शांति छा गयी थी। अब्दाली के लौट जाने के बाद उसका प्रतिनिधि बनकर नजीबुद्दौला दिल्ली में एक अनाथ सिंहासन और विधवा राजधानी की चौकसी कर रहा था। सूरजमल ने अब्दाली को चुनौती दी थी किन्तु वह थकान से पस्त हो, हिम्मत हारकर चुपचाप अपने देश वापस चला गया। सूरजमल की दूदर्शिता का इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने स्थिति को समझा और आगरा पर अधिकार कर लिया। एक महीने तक घेरे के बाद लाल किले को फतह कर लिया गया। यहां से उसे एक करोड़ रुपया नकद, तोपखाना, गोला–बारूद, बंदूकें, सोना–चांदी के हौदे और रत्न आदि मिले जिन्हें भरतपुर और डीग पहुंचा दिया गया। जाट सरदारों ने अलग–अलग भी खूब माल मारा। इसके बाद उन्होंने हरियाणा की ओर रुख किया। उस समय सूरजमल अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम शिवर पर था और आश्चर्यजनक रूप से उनकी सुविचारित सावधानी और अभ्यास द्वारा अर्जित लचीलापन गायब हो गया था। अब अपने शत्रुओं के शांत रहने के क्षणों को उन्होंने अपने दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाना चाहा। पहला, एक ठोस जाट परिसंघ की स्थापना, जिसका विस्तार गंगा–यमुना के दोआब से लेकर रावी तक के जाट तथा जाट–सिख बहुल क्षेत्र तक हो, और दूसरा, नजीबुद्दौला को दिल्ली में मार भगाना। इसके पीछे उनका मंतव्य था अपने आश्रित दिल्ली के भूतपूर्व वजीर गाजीउद्दीन को उसकी शक्ति वापस दिलवाकर दिल्ली में स्थापित करना ताकि उसके माध्यम से सूरजमल साम्राज्य की नीतियों को नियंत्रित कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1763 ई. में अपने ज्येष्ठ और बहादुर पुत्र जवाहर सिंह को हरियाणा विजय के लिए भेजा तथा एक दूसरी सेना अपने छोटे पुत्र नाहर सिंह के नेतृत्व में गंगा–यमुना के दोआब में अपनी सत्ता को स्थापित करने से पहले रूहेला सरदारों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए भेजी। सूरजमल की सेना अपने समय की सबसे दक्ष एवं द्रुतगामी सेना थी और उसके सेनानायक सरदार मोहनराम, बलराम, मनसाराम, काशीराम (होडल वाले), रामकिशन (बनचेरी वाले), ठाकुर माधो सिंह (बचमढ़ी वाले), ठाकुर भगवान सिंह (सिनसिनी वाले) जैसे अनुभवी और रणकुशल योद्धा थे।

नजीबुद्दौला अच्छी तरह जानता था कि अगर पूरे भारत में उसे कोई हानि पहुंचा सकता है तो केवल सूरजमल। अतः वह सूरजमल की गतिविधियों पर नजर रखे था। मामला कब तक शांत रहता। संघर्ष अनिवार्य हो गया था और इसी संघर्ष के दौरान पूर्वी दिल्ली शाहदरा के जंगलों में धोखे से मारे गये। 'जाट जाति की आंखें और उसकी चमकती हुई रोशनी, पिछले पन्द्रह वर्षों में हिन्दुस्तान का सबसे अधिक दुर्जेय राजा सूरजमल इस प्रकार रंगमंच से अपने काम को अधूरा छोड़कर दुनिया से चला गया'। सूरजमल का व्यक्तित्व बुलंद था और प्रतिभा अनुभवातीत, इसी कारण 18वीं शताब्दी के प्रत्येक इतिहासकार ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

महाराजा सूरजमल की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसका स्पष्ट उल्लेख भरतपुर की गाथाओं में नहीं मिलता। जो वृतांत मिलते हैं, उन्हें लेकर हमारे इतिहासकार एकमत नहीं हैं। 'दिल्ली क्रॉनिकल' (जिसमें कोई विशेष घटना घटने के तुरंत बाद विवरण दर्ज किया जाता था), में यह विवरण इस प्रकार दर्ज है– '25 दिसंबर 1763 को अपराह्न में लगभग 3 बजे राजा सूरजमल ने शाहदरे के पास हिंडन नदी को पार किया। उसके साथ छः हजार घुड़सवार थे जिनका वह स्वयं नेतृत्व कर रहा था। उसने नजीबुद्दौला की सेना के पिछले भाग पर आक्रमण कयि। कुछ देर भंयकर लड़ाई होती रही। आक्रमण और प्रत्याक्रमण होते रहे और दोनों पक्षों में कुल मिलाकर लगभग एक हजार सैनिक हताहत हुए। युद्ध की गरमागर्मी में सूरजमल जाट केवल तीन घुड़सवारों को लेकर रूहेलों और बिलाचों के केंद्रीय भाग पर टूट पड़ा और मारा गया। मौहम्मद खां बिलोच ने उसके शव से सिर और एक हाथ काट लिया। उन्हें पूरे दो दिन तक अपने पास रखने के बाद उसने उन्हें नजीब के सामने प्रस्तुत किया और उसी के बाद उसकी मृत्यु के समाचार पर विश्वास किया गया।'

मराठों की समाचार रपट में, जो सूरजमल की मृत्यु के दो माह बाद पेशवा को भेजी गयी थी, लिखा है कि एक जाट हिंदू राजा के दूत ने बताया कि नजीब के एक विश्वासपत्र ने जो सूरजमल का परिचित था षड़यंत्र रचा और बातचीत करने का निमंत्रण देकर साक्षात्कार के दौरान जाट राजा को धोखे से मार डाला।

अलेक्जेंडर डौ ने उस घटना के कुछ वर्षों बाद ही लिखा है– "सूरजमल को नजीब के आदमियों ने उस समय घात लगाकर मार डाला जिस समय वह शाहदरा के निकट दिल्ली के बादशाह के लिए आरक्षित क्षेत्र में नियमों की अवहेलना कर शिकार खेल रहा था।" कर्नल टाड (राजस्थान, पृ. 1223) तथा ग्राउजे ने भी इस घटना का समर्थन किया है।

नूर उद्दीन ने लिखा है कि (25 सितंबर 1763 को) अपराह्न 3 बजे के लगभग सूरजमल ने पांच हजार सैनिकों के साथ शाहदरे से चार कोस की दूरी पर हिंडन नदी को पार किया और नजीब की सेना

के पिछले भाग पर टूट पड़ा। शेष जाट सेना ने नजीब को चारों ओर से घेर लिया। इस तरह तीनों तरफ लड़ाई आरंभ हुई। पिछले भाग में प्रारंभिक सफलता के बाद सूरजमल कई घाव लगने के बाद सूरजमल घोड़े पर से गिर पड़ा। उसी तरह उसके कुछ सेवक भी गिर पड़े। उनका पीछा करने वाले सैयदु तथा कुछ अन्य लोगों ने सूरजमल को पहचान लिया और उसके पेट में अपनी तलवारें कई बार घुसेड़ दीं, उसके सिर के भी टुकड़े–टुकड़े कर दिये। दूसरी ओर जाटों की मुख्य सेना रात नौ बजे तक दृढ़तापूर्वक लड़ती रही। उसके बाद दोनों पक्ष अपने–अपने खेमों में लौट गये। जाट सेना ने उसी रात अपने खेमे उखाड़ लिये। सैयदु के इस दावे पर कि उसने सूरजमल को मार डाला है, नजीब ने संदेह करते हुए उसके शव के पहचान योग्य अंग की मांग की। अगले दिन सैयदु ने सूरजमल के शव से एक बांह काट ली और पुष्टि के लिए सागरमल और करामुल्ला की उपस्थिति में नजीब के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 'बांह की आस्तीन उसी छींट की है जिसका बना अंगरखा सूरजमल दो दिन पूर्व उनसे मुलाकात क समय पहने हुए था। बांह पर बना साफ निशान उस फोड़े का है जो तीन वर्ष पहले सूरजमल को हुआ था।' इस प्रकार मृत्यु के बीस घंटे प्चात सूरजमल के मरने की पुष्टि हुई और अगले दिन अर्थात 27 दिसंबर 1763 को नजीब उस स्थान से रवाना हो गया। कहा जाता है कि नजीब ने अपनी यह विख्यात उक्ति उसी समय कही थी कि– जाट मरा तब जानिये जब तेरहवीं होय।

जाटों का फ्रांसीसी इतिहासकार फ्रांसवा ग्वाजदिये वैंदेल, जो सूरजमल का समकालीन तथा जवाहर सिंह के दरबार में 1764–68 के बीच रहा था, लिखता है– 'एक दिन सूरजमल को समाचार मिला कि शत्रु सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने उसके पुत्र और भावी उत्तराधिकारी नाहर सिंह पर जो इस सैनिक अभियान में भाग ले रहा था, जोरदार ध ावा बोल दिया है, इसलिए वह तुरंत कुछ हजार घुड़सवारों को साथ लेकर तेजी से उसे बचाने के लिए बढ़ा। रास्ते में एक सूखा नाला पड़ता था जो हिंडन नदी के कटाव से बन गया था। दुर्भाग्यवश उस नाले को पार करते समय, नाले के दोनों ओर घात लगाकर बैठे रूहेला पैदल सैनिकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अपनी बंदूकों से गोलियों की जबरदस्त बौछार के साथ–साथ उन्होंने अग्निबाण भी छोड़े, जिनके प्रयोग में वे अत्यंत प्रवीण थे। जाट लोग हड़बड़ा गए, सूरजमल और उसके साथी हत या आहत, रणभूमि में ही धराशायी हो गए। पीछे शिविर में बड़ी कठिनाई से कोई आदमी यह खबर लेकर पहुंच पाया कि सूरजमल अब नहीं रहा।

सियर–उल–मुतख्खरीन में इतिहासकार तबतबाई ने 1780 में सूरजमल की मृत्यु का वर्णन कुछ अधिक विस्तार से किया है– "राजा सूरजमल रणभूमि की पड़ताल करने और अपनी पसंद की जगह चुनने के लिए घोड़े पर सवार होकर इधर से उधर घूम रहा था, यह तय करने के लिए अपने चुने हुए सिपाहियों को कहां तैनात करे। उसके साथ जो लोग थे, उन्होंने उसे चेताया कि इतने थोड़े से साथियों के साथ शत्रु के इतने निकट रहना ठीक नहीं। करीमुल्ला खां और मिर्जा सैफुल्ला खां ने वापस लौट चलने के लिए विनयपूर्वक आग्रह किया। सूरजमल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह शत्रु की चालों पर विचार करने में मग्न प्रतीत होता था। तभी ऐसा हुआ कि सैयद मुहम्मद खां बिलोच, जो सैयुद के नाम से अधिक प्रसिद्ध था, अपने चालीस–पचास सैनिकों के साथ उसके बिल्कुल निकट से गुजरा। इन्हें सूरजमल की हरावल से सेनापति मनसाराम ने पराजित कर खदेड़ दिया था। इन सिपाहियों में से एक ने सूरजमल को पहचान लिया। वह सैयुद की ओर दौड़ा और चिल्लाया– ठाकुर साहब वहां खड़े हैं। सैयुद ने यह सुना तो वह वापस लौटा और सूरजमल पर टूट पड़ा। उसके एक सैनिक ने जाट राजा को लक्ष्य करके उस पर तलवार से वार किया और उसकी एक बांह को काट दिया। तभी दो अन्य सैनिक भी उससे भिड़ गये ।इन सबने सूरजमल के साथियों सैफुल्ला, करीमुल्ला तथा अमरसिंह को मार डाला, सैयुद के एक सैनिक ने उस कटी हुई बांह को उठा लिया और अपने बरछे पर झंडे की तरह टांग कर नजीबुद्दौला के पास ले गया। नजीब को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि वह बांह सूरजमल की है और वह दो दिन इस विषय में संदेह करता रहा। दूसरे दिन याकूब खां ने आकर पहचाना कि बांह सूरजमल की है और उस पर जो आस्ती है वह उसी मुल्तानी कपड़े की है जिसे सूरजमल ने उसके सामने दो दिन पहले ही पहना था।"

1787 में बिहारीलाल मुंशी ने नजीबुद्दौला का जीवन चरित लिखा, जिसमें लिखा कि 30,,, जाटों ने चारों ओर से नजीब की 'हल्की सी फौज' पर हमला बोल दिया। नजीब ने अपने आदमियों को वीरता दिखाने के लिए ललकारा। छः घंटे बाद सूर्यास्त के समय लड़ाई बंद हुई। सूरजमल, जिसने पीछे से हमला किया था, किसी सिपाही द्वारा मार गिराया गया। सारी रात जाट युद्ध करते हुए डटे रहे। अगली सुबह उसकी कटी हुई बांह नजीब के पास लाइ गयी, परंतु उसका सिर गायब था। उसके बाद पकड़ा गया उसका प्रिय काला घोड़ा और अन्य सेवक भी लाये गये और इस तरह उसकी मृत्यु की पुष्टि हुई। 'गुलिस्तां–इ–रहमत' का कथन है कि कई दिनों की लड़ाई के बाद एक दिन जब सूरजमल सैयद बिलोच की खंदक के पास एक टुकड़ी पर निरीक्षण कर रहा था, शत्रु ने गोली की बौछार कर दी और उसे मार गिराया।

'गुल–इ–रहमत' के अनुसार सूरजमल ने एक बड़ी फौज और तोपखाने के साथ नजीब के सिपाहियों को, जो संख्या में कम थे, घेर लिया। गोलाबारी शुरू हुई, जो कई दिनों तक चलती रही। एक दिन अपने तोपखाने को आगे बढ़ाते हुए जब सूरजमल बिलाचों की खंदकों के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने उसे देख लिया और उस पर बंदूकों की गोलियों की बौछार कर दी। जैसा कि उसकी नियति थी, सूरजमल गोलियों से मार डाला गया।

सर जदुनाथ सरकार ने वैंदेल, सियर, चहरगुलजार तथा बयान–ए–वाका पर आधारित वृतांत पर आधारित वृतांत में लिखा है– "नदी के बहाव से बने एक नाले को पार करते हुए वह (सूरजमल) घात लगाकर बैठे अफगानों के बीच जा फंसा। उसे और उसके साथियों को झाऊ की झाड़ियों में छिपकर बैठै रूहेला बंदूकचियों ने मार गिराया। विजयी रूहेले घात के स्थान से बाहर निकलकर आये तो सैयदु ने सूरजमल को पहचान लिया। उसने अपना खंजर दो–तीन बार राजा के पेट में घोंपा। उसके दो–तीन घुड़सवारों ने भी अपनी तलवारों से राजा के शरीर पर वार किये ।तब उसने आदेश दिया कि सिर काट लिया जाए।"

इस प्रकार जिन परिस्थितियों में राजा सूरजमल की मृत्यु हुई, उस पर भिन्न–भिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। सबसे खास बात यह है कि अधिकतर लेखकों का रवैया सूरजमल के प्रति असाहनुभूतिपूर्ण भी प्रतीत होता है। इसलिए सूरजमल के व्यक्तित्व और चरित्र की रोशनी में इन मतों का परीक्षण करना अनिवार्य है। सूरजमल सदैव बेहद सतर्क और सावधान रहने वाला व्यक्ति था। अतः युद्ध की गरमागरमी में उनका केवल तीस सिपाहियों को साथ लेकर नजीब की सेना के केंद्रीय भाग पर टूट पड़ने (दिल्ली

क्रॉनिकल) जैसा आत्मघाती कदम उठाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी तरह बातचीत के लिए शत्रुओं के कैंप में असावधानीपूर्वक जाना और धोखे से मारा जाना भी असंभव है। सभी इतिहासकारों ने सूरजमल की सेना को दुर्जेय स्वीकार किया है और नजीब ने भी खुलेआम जाट शक्ति की स्पष्ट विशिष्ट श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। ऐसे में नूर उद्दीन, बयान–ए–वाका और बिहारीलाल के वर्णन गलत साबित होते हैं कि सूरजमल और उनके साथी मैदान से पीठ दिखाकर भागते हुए मार डाले गये। गुल–इ–रहमत का दावा कि सूरजमल शत्रु की खंदक के पास से गुजरते हुए मारे गये, सूरजमल की नासमझी दर्शाता है, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार तीन–चार लोगों के साथ शत्रु के इतने निकट जाकर सोच–विचार में इतना खो जाना कि सैयदु तथा उसके सैनिकों के आने और बिना प्रतिरोध के उनकी तलवारों से साथियों सहित मारा जाना (सियर का विवरण) उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसे में सत्य के निकट सिर्फ यही प्रतीत होता है कि सूर्यास्त के समय अपने थोड़े से साथियों के साथ सूरजमल अपनी सेनाओं की भावी व्यूह रचना के लिए हिंडन की खाइयों से गुजरे जहां पहले से ही घात लगाये सैयदु और उसका दल बैठा था, जिन्होंने बंदूकों से उन पर हमला किया जिससे सूरजमल का शरीर इतना क्षत–विक्षत हो गया कि उनकी मृत्यु को तय कर पाना कठिन हो गया। जाटों द्वारा पकड़ लिये जाने के भय से सैयदु भाग खड़ा हुआ। इसी कारण जाट सैनिक रात नौ बजे तक लड़ते रहे और शिविर में लौटने के बाद ही उन्हें सूरजमल की मौत का दुखद समाचार मिला। इसके बाद ही नजीब को भरोसा हुआ कि सूरजमल मारे जा चुके हैं।

इंजीनियरिंग एजुकेशन की समीक्षा – सीटें खाली रहना चिंता का विषय

– एक रपट

नए इंजीनियरिंग संस्थानों को मंजूरी से पहले डिमांड–सप्लाय का आकलन होगा।

इंजीनियरिंग संस्थानों को अप्रूवल देने की प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं। मौजूदा संस्थानों में खाली सीटों की बढ़ती संख्या और एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या में कमी के चलते मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह बदलाव करेगा। अब मंजूरी से पहले डिमांड–सप्लाय का आकलन किया जाएगा।

दो साल में एक लाख कम हुए एडमिशन लेने वाले

भारत में इंजीनियरिंग की लोकप्रियता में पिछले दो वर्षों में कमी देखने को मिली है। एनआईटी और आईआईटी संस्थानों को छोड़ दें, तो बाकी सभी सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में 1 लाख तक की कमी आई है। पिछले वर्ष देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकरीबन आधी सीटें खाली रह गई थीं। मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों द्वारा इस पर चिंता जताने के बाद आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी कहना है कि नए कॉलेजों को अप्रूवल देने से पहले कोर्स की डिमांड और छात्रों के एनरोलमेंट का परीक्षण किया जाना चाहिए। एआईसीटीई का यह भी कहना है कि कई प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने बिना अप्रूवल के सीटों में इजाफा कर लिया है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें खाली

देशभर में 2015–16 में 3 हजार 365 इंजीनियरिंग संस्थान थे और इन संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 16 लाख 32 हजार 470 थी, लेकिन इनमें सिर्फ 8 लाख 36 हजार 640 छात्रों ने ही प्रवेश लिया। इंजीनियरिंग संस्थानों में सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में खाली रही। महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग संस्थानों में कुल 3 लाख 64 हजार 386 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख 94 हजार 516 सीटें ही भरी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में 2 लाख 94 हजार 548 सीटों में 1 लाख 65 हजार, 272 गुजरात में 1 लाख 48 हजार 264 में 89 हजार 275, ओडिसा में 97 हजार 590 में 47 हजार 601 और मध्य प्रदेश में 1 लाख 49 हजार 796 में 82 हजार 48 सीटों पर ही छात्रों ने प्रवेश लिया।

तीन में से एक इंजीनियरिंग छात्र को ही मिल रहा कैंपस प्लेसमेंट

छात्रों के बीच इंजीनियरिंग की लोकप्रियता कम होने की सबसे बड़ी वजह नौकरी न मिलना है। हालत यह है कि इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ रहे प्रत्येक तीन में एक छात्र को ही कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है। टियर 2 और 3 शहरों में हालात ज्यादा खराब हैं। पिछले वर्ष 8 लाख 36 हजार 640 छात्रों ने इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश लिया था, लेकिन सिर्फ 3 लाख 40 हजार 531 छात्रों को ही कैंपस प्लेसमेंट मिला था। हालांकि 2014 में 31 फीसदी प्लेसमेंट के मुकाबले 2015 में 40 फीसदी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। वहीं नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों के लिए कॅरिअर के कई विकल्प मौजूद हैं।

स्किल की कमी नौकरी न मिलने की बड़ी वजह

हाल के दिनों में आई कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अधिकतर इंजीनियरिंग छात्रों में स्किल की कमी नौकरी न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण है। एसोचैम की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि आईटी क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त 20 फीसदी छात्रों के पास ही नौकरी के लिए जरूरी स्किल हैं। कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में हालात ज्यादा खराब हैं। इंजीनियरिंग करने वाले 8 फीसदी से भी कम छात्र ही जॉब रोल में फिट बैठते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग संस्थानों में फैकल्टी की गुणवत्ता भी एक बड़ी समस्या है। आईटी में आने वाले 5 सालों में ऑटोमेशन की वजह से करीब 6 लाख कम स्किल वाली नौकरियां खतरे में हैं और हाई स्किल प्रोफेशनल की जरूरत होगी। ऐसे में इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रति छात्रों के रूझान में और कमी आ सकती है।

अपने को संकट में डाल कर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। – जवाहरलाल नेहरू

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl (DOB 04.08.90) 25.8/5'4.5" MSc from P.U. Chandigarh. Employed as Software Developer (Alchemist I.T. Company Chandigarh) Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Sinhmar, Cont.: 09463330394
- SM4 Jat Girl 29/5'2" B.A. Lab. Technician Employed in Coop Bank Society at Sonepat. Avoid Gotras: Malik, Saroha, Khatri, Ahlawat, Contact: 09466944284
- SM4 Jat Girl (DOB 29.02.92) 24.2/5'4" MSc Physics from P.U. Chandigarh. Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Sinhmar, Cont.: 09463330394, 09646712812
- SM4 Jat Girl 26/5'2" B.E. Working as Manager in Bank of India in Chandigarh. Father in I.A.F., Mother housewife. One brother. Avoid Gotras: Chauhan, Dhaka, Cont.: 07696566024
- SM4 Jat Girl (DOB 07.12.89) 27/5'6" B.D.S. Working in a reputed Private Dental Hospital. Avoid Gotras: Balyan, Mann, Cont.: 09466367107, 09467994607
- SM4 Jat Girl (DOB 26.07.88) 28.4/5'4" M.A. (Geography) B.Ed, M.Tech, (Geoinformatic). Employed as Project Assistant (Adhoc) in Science & Tech. Deptt. Panchkula. Father in Central Govt. job. Avoid Gotras: Dalal, Dahiya, Panwar, Cont.: 09416534644
- SM4 Jat Girl (DOB 19.02.89) 27.10/5'2" M.A. M.Phil, Pursuing Ph.D (Sociology) from P.U. Chandigarh, UGC, NET qualified Working as Lecturer in Post Graduate Govt. College for Girls, Sector 42, Chandigarh from last three years. Martch preferred Chandigarh, Panchkula, Mohali. Avoid Gotras: Narwal, Pannu, Ahlawat, Cont.: 09416862660, 09729577161
- SM4 Jat Girl (DOB Sep.1991) 25.2/5'4" M.A. Psychology from P.U. Chandigarh. HTET cleared. Employed as Assistant Professor on contract basis. Avoid Gotras: Khokhar, Malik, Mor, Cont.: 09876221778
- SM4 Jat Girl (DOB 07.08.83) 33.4/5'5" M.A. (Eng.). MBA, B.Ed. Working in HR NOIDA. Grand Daughter of Sir Chhotu Ram. Avoid Gotras: Ohlian, Bajad, Dagar, (Ahlawat not direct), Cont.: 09896399003
- SM4 Jat Girl (DOB 04.11.90) 26/5'2" B.A. B.Ed. from Chandigarh. Father Govt. Officer in HSIDC. Avoid Gotras: Hooda, Kundu, Bhanwala, Cont.: 09729235545
- SM4 Jat Girl (DOB 26.01.88) 28.11/5'3" M.Tech Employed as Guest Lecturer in Govt. Polytechnic College Nilokheri. Avoid Gotras: Malik, Siwach, Goyat, Cont.: 09215017770
- SM4 Jat Girl (DOB 17.02.90) 26.10/5'3" M.Tech Employed as Programmer in Food & Supply Department Karnal. Avoid Gotras: Malik, Siwach, Goyat, Cont.: 09215017770
- SM4 Jat Girl 25/5'5" B.D.S. Employed in Parexel Company in I.T. Park Chandigarh. Family settled at Chandigarh. Tri-city match preferred. Avoid Gotras: Kundu, Malik, Sandhu, Cont.: 09779721521
- SM4 Jat Girl (DOB 18.10.84) 32.2/5'3" M.Com. Passed Computer Course. Avoid Gotras: Kadian, Malik, Khatri, Cont.: 09468089442
- SM4 Jat Girl 23/5'3" M.B.A. Employed in MNC at Mumbai with Rs. 4.50 lakh package P.A. Father, Mother in Govt. Job. Avoid Gotras: Mor, Nain, Gill, Cont.: 09872330397, 09915711451
- SM4 Jat Girl (DOB 18.08.88) 28.4/5'3.6" M.Sc. Math, B.Ed. Working in a reputed private School. Avoid Gotras: Bankura, Mann, Narwal, Cont.: 09354839881
- SM4 Jat Girl 27.5/5'7" BA (Hons), M.A. (Eng.) M.Phil, B.Ed. NET quqlified. Employed as JBT Teacher in UT Chandigarh. Avoid Gotras: Malhan, Kadian, Chahar. Cont.: 09467394303
- SM4 Jat Girl (DOB 05.09.91) 25.3/5'6" M.Tech (CSE) Employed in a University. Avoid Gotras: Malik, Hooda, Rana, Cont.: 07696844991, 07814609118
- SM4 Jat Girl (DOB 20.09.91) 25.3/5'6" M.Tech (CSE) Avoid Gotras: Panwar, Deswal, Ahlawat, Cont.: 08053825053, 09813262849
- SM4 Jat Girl 25/5'2" B.Tech (CSE) Cleared SSC Exam. Avoid Gotras: Malik, Hooda, Joon, Cont.: 09780336094
- SM4 Jat Girl(DOB 07.02.90) 26.10/5'10" B.Tech (ESE) M.Tech (ESE) from MDU Rohtak. GATE qualified. Avoid Gotras: Kadian, Rathee, Sangwan, Cont.: 08447796371
- SM4 Jat Girl (DOB 05.12.86) 30/5'5" M.Sc. Geology, Employed as Class-I Gazzeted Officer at G.S.I. Govt. of India at Dehradun. Fathr School Lecturer, Mother Housewife. Avoid Gotras: Kundu, Rathee, Malik, Cont.: 08950092430
- SM4 fair, wkg Jat girl 28/5'4" GNM/B.Sc. Nursing, MBA (MHA) Pursuing. Avoid : Dahiya & Dalal. Contact : 9868542240 Email: saridahiya.dahiya88gmail.com
- SM4 v.b'ful fair girl 28/163, B.Tech (IIT), MBA (IIM), Job in MNC, Decent Mrrige. Own house & properties at GGN. Cont.: 0124-4075510
- SM4 b'ful fair conv. Edu. Jat girl June 89/5'6", B.Tech, MBA, wkg Mumbai as HRL&T. Pref. B.Tech/MBA/M.Tech. Adoid : Baliyan, Tomar. Cont.: 9411928640
- SM4 b'ful Jat girl 17.07.89/5'8", M.Tech (IIT), Class-1 Officer, Central Govt. Service, Seeks Civil Serv./Scientist/Class-1 Officer in Cent. Govt. Serv. Avoid : Dagar, Dahiya. Cont. : 9818743834
- SM4 b'ful Jat girl 17.07.89/5'8" M.Tech (IIT), Class1 Officr. Central Govt. Service. Seeks Civil Serv./Scientist/Class-1 Officer in Cent. Govt. Serv. Avoid : Dagar, Dahiya. Cont. : 9818743834
- SM4 V. b'ful girl, 26/5'6", M.Sc., B.Ed. NET-Ph.D. Prsuing, Rep. family. Avoid : Tomar, Baliyan. Cont. : 9412834119
- जाट 28/5'8'' B.Tech, Working in HCL, 8.5 LPA स्मार्ट, हैण्डसम, प्रतिष्ठित परिवयीय युवक हेतु सुयोग्य वधु चाहिए। संपर्क : 8430790697
- SM4 widow issue-less Jat Girl (DOB 02.10.80) 36.2/5'3" M.Sc., M.Phil, B.Ed., Employed as Junior Lecturer in Haryana Government. Avoid Gotras: Nandal, Sehrawat, Dalal, Cont.: 08570032764
- SM4 Jat Boy (DOB Nov.1989) 27.1/6' B.Sc in Hospitality & Hotel Administration. Occupation Hotel Industries in Dubai Package Rs. 10 lakh P.A. Father, Mother Haryana Govt. Employees at Panchkula. Avoid Gotras: Kundu, Dahiya, Tomar (Not direct Sangwan, Bhanwala, Cont.: 09416272188
- SM4 Jat Boy 25/5'8" B.Tech from PEC Chandigarh Employed as Inspector in Custom & Central Excise (C.G.S.Bombay) Avoid Gotras: Poonia, Lohan, Rathee, Cont.: 08950492573
- SM4 Jat Boy (DOB 04.12.90) 26/6' B.Tech Employed in Pb. & Sind Bank as P.O. at Jalandhar, Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Nain, Brar, Beniwal, Cont.: 09467037995
- SM4 Jat Boy (DOB 15.04.91) 25.8/5'9" M.A. Employed as Clerk in SBI Panchkula Avoid Gotras: Malik, Kundu, Saroha, Cont.: 08813089176, 09138530000
- SM4 Jat Boy (DOB 23.08.89) 27.4/5'10" B.Tech. Employed as Service Engineer in Tata Motor Ltd. In Haryana. Avoid Gotras: Kundu, Malik, Rathee, Cont.: 08950092430
- SM4 Jat Boy (DOB 25.11.87) 29./5'9" 10+2 Employed as Data Operator in UT Chandigarh on contract basis. Avoid Gotras: Hooda, Rathee, Kadian, Cont.: 09463457433
- SM4 Jat Boy (DOB 21.04.90) 26.8/5'9" B.Tech Employed as Assistant in Haryana Civil Secretariat in Excise & Taxation Deptt. Only son, Father & Mother Gazetted Officer in Haryana Govt. Avoid Gotras: Mor, Siwach, Singroha, Cont.: 09988701460
- SM4 Jat Boy 27/5'8" B.A. LLB Practicising in District Court Panchkula. Avoid Gotras: Balyan, Nehra, Cont.: 09996844340
- SM4 Jat Boy 28/5'10 B.A. PGDCA from P.U. Chandigarh. Employed in Punjab Coop. Bank as Regular D.E.O, Father in Haryana Govt., Own Flat at Panchkula. Tri-city match preferred. Avoid Gotras: Gill, Nandal, Bazar, Cont.: 09876875845
- SM4 Jat boy 29/5'10" MBA wkg MNC, CTC 11 Lpa. S.Delhi bsd pref B.Tech/MBA/Lecturer from Edu & Rep fmly. Avoid : Panwar, Kadyan, Dalal, Cont. : 9810280462
- SM4 B.Tech, MBA Tall h'some Jat 29/6'2" Boy wkg MNC Father Retd. G.O., Well Edu. & Sellted S.Delhi bsd fmly. Girl from good fmly background. Avoid : Dhankhar, Sangwan Cont. : 9810221484
- SM4 Jat tall h'some boy Oct. 89/5'10" B.Tech CS wkg MNC, Noida prf B.Tech wkg girl 5'4" min. Avoid : Nain, Sirohi. Cont. : 9810983708.
- SM4 H'some Jat boy 29/5'9" B.Arch (IIT) M.Tech wkg MNC Delhi. Highly Edu. Gurgaon based family. Cont. : 8527599960.
- Jat Boy 28/6'1", B.E./M.S. Software Prof. Stld. Grmny, Hisar based fmly seek tall BE/BCA/MBA girl. Avoid : Kharb, Latyan, Dahiya. Cont.: 9416402030

वित्तीय सहायता हेतु निवेदन

मान्यवर प्रणाम्,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला एक सामाजिक व गैर–राजनीतिक संस्था है जो कि सदैव विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक हित कार्यक्रमों के प्रसार के इलावा आर्थिक/सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों, दलितो, युद्ध–नायकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों व मेधावी छात्रों के कल्याण व उत्थान हेतु प्रयासरत है।

इसके साथ ही सभा द्वारा 13 अक्तूबर 2016 की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्पति से जाट भवन, सैक्टर–27, चण्डीगढ़ व सर छोटूराम जाट भवन सैक्टर–6, पंचकूला की renovation मरम्मत कराने, दोनों भवनों में साऊड़ प्रक्रिया, एयर कंडिशन व लिफ्ट सिस्टम लगवाने का निर्णय लिया गया है। सर छोटूराम जाट भवन पंचकूला में लिफ्ट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिसकों 31 दिसम्बर 2016 तक मुकम्मल करने का प्रयास है और रैनोवेशन व अन्य कार्य 29 जनवरी 2017 को आयोजित की जाने वाली बंसन्त पंचमी उत्सव से पूर्व कराने की कोशिश की जा रही है। इन सभी कार्यों पर 2.5–3 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

सभा द्वारा 29 जनवरी 2017 को बंसत पंचमी एवं दीनबंधु सर छोटूराम की 136वीं जयन्ती समारोह के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर ख्याती प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों के साथ–साथ रियों ओंलम्पिक 2016 की कुश्ती में कांस्य पदक विजेता – समाज की नायक साक्षी मलिक, उनके माता–पिता व मुख्य कोच, ओलम्पिक कुश्ती टीम 2016 के हिरो व ध्यानचन्द अवार्डी श्री कुलदीप सिंह मलिक को भी विशेषतौर से सम्मानित किया जायेगा। इनके इलावा युद्ध में मेघावी वीरों, भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों, समाज कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों, मेघावी छात्रों को भी समारोह के दौरान सम्मानित किया जायेगा। इस समारोह आयोजन पर भी काफी खर्चा होगा।

इसलिये आप सभी से अनुरोध है कि जाट सभा द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं अन्य उपरोक्त दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपने व्यक्तिगत अनुदान के साथ मित्रजनों व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, उद्योगपतियों आदि द्वारा जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला के वित्तीय सहायता भेजने की कृपा करें। अनुदान की राशि नकद, जाट सभा चण्डीगढ़ के नाम चैक अथवा चण्डीगढ़ में देय डिमांड़ ड्राफ्ट द्वारा व चण्डीगढ़ के अकाऊंट नं. 50100023714552, IFSC कोड HDFC 0001324 में सीधे भेजी जा सकती है। जाट सभा को दी जाने वाली अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत आयकर से मुक्त है।

आदर सहित

भवदीय
राजकुमार मलिक
महासचिव

एसवाईएल के पानी पर सुप्रीम कोर्ट की दोहरी मोहर

— हरीश जोशी

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 12 साल बाद फिर अपने पुराने फैसले पर दोबारा मुहर लगा दी। 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि सतलुज–यमुना लिंक नहर का निर्माण निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए। पंजाब ने 2004 में रावी–ब्यास के पानी पर हरियाणा व राजस्थान के साथ ही साथ अन्य सभी अंतर–राज्यीय समझौते रद्द कर दिये थे। अधिगश्हीत जमीन किसानों को वापस करने का फैसला कर दिया। इस पर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने पंजाब को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया। आइये हरीश जोशी की रिपोर्ट द्वारा जानते हैं एसवाईएल का सच।

विभाजन के साथ ही विवाद शुरू हुआ

रावी–ब्यास का पानी 1947 से ही विवादों में रहा है। आजादी के बाद पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया तो रावी–ब्यास के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। पाकिस्तान के पास रावी–ब्यास का पानी सरप्लस था। दोनों देशों के बीच इस पानी के बंटवारे को लेकर 1951 से 1960 के बीच चर्चाओं के कई दौर चले। 19 सितंबर, 1960 को भारत–पाक के बीच सिंधु जल संधि हुई। समझौते के तहत तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाव व झेलम के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को मिला तो पूर्वी पंजाब की तीन नदियों– सतलुज, रावी व ब्यास के पूरे पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो हरियाणा अलग राज्य बना। पुनर्गठन के साथ ही दोनों के बीच रावी–ब्यास के पानी के समान बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। हरियाणा ने रावी–ब्यास के कुल 7.2 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) में से 48 लाख एकड़ फुट पानी पर अपना दावा जताया। पंजाब इस पर राजी न हुआ। विवाद निपटाने के लिए 24 मार्च 1976 को केंद्र ने हस्तक्षेप किया। केंद्र ने अध्यादेश जारी कर रावी–ब्यास का 35 लाख एकड़ फुट सरप्लस पानी हरियाणा को अलाट कर दिया। हरियाणा तक यह पानी पहुंचाने के लिए सतलुज–यमुना लिंक नहर बनाने का फैसला हुआ।

हरियाणा ने नहर खोदी, पंजाब ने नहीं

दोनों राज्यों के बीच रावी–ब्यास के पानी का बंटवारा करने के बाद केंद्र ने एसवाईएल नहर बनाने की योजना तैयार की। नहर की कुल लंबाई 212 किलोमीटर तय की गयी। नहर का 121 किलोमीटर लंबा हिस्सा पंजाब में और 91 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरियाणा में बनाने का फैसला हुआ। हरियाणा ने अपनी सीमा में पड़ने वाली नहर का 91 किलोमीटर हिस्सा बनाकर पूरा कर दिया, लेकिन पंजाब ने नहर निर्माण में कोई रूचि नहीं ली। इस पर हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में चला गया और पंजाब व केंद्र को नहर का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश देने की गुहार लगायी। इस पर पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में चली गयी।

केंद्र सरकार की एक ओर पहल

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने के प्रयास शुरू किये। 31 दिसंबर 1981 को उन्होंने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायी। बैठक में रावी–ब्यास के पानी की अतिरिक्त उपलब्धता का नये सिरे से अध्ययन किया गया। पानी की उपलब्धता 158. 50 लाख एकड़ फुट से बढ़कर 171.50 लाख फुट हो गयी। तीनों राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए और पंजाब को 13.2 लाख एकड़ फुट अतिरिक्त पानी अलाट किया गया। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब अपने क्षेत्र में एसवाईएल नहर के हिस्से का निर्माण कार्य दो साल में पूरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट से लंबित केस भी वापस ले लिये गये और नहर निर्माण के कार्य का मार्ग प्रशस्त हुआ।

धर्मयुद्ध और राजीव–लोंगोवाल समझौता

– 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव के पास नहर की खुदाई के काम का उद्घाटन किया। तभी संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की अगुवाई से अकाली दल ने नहर–निर्माण के खिलाफ 'धर्म–युद्ध' शुरू कर दिया। राज्य में हालात बिगड़ गये।

– 24 जुलाई 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल प्रमुख संत लोंगोवाल ने राजीव–लोंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते के तहत जहां अगस्त 1986 तक एसवाईएल का निर्माण कार्य पूरा करने पर सहमति हुई, वहीं पानी को लेकर पंजाब व हरियाणा के दावों पर गौर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में प्राधिकरण गठित करने का फैसला हुआ। प्राधिकरण ने 1987 में रावी–ब्यास के सरप्लस पानी पर पंजाब व हरियाणा दोनों का हिस्सा बढ़ाने का अवार्ड दिया परंतु अवार्ड की अधिसूचना नहीं हो पायी।

बीच में रूका काम

– राजीव–लोंगोवाल समझौते के तहत सरदार सुरजीत सिंह बरनाला के मुख्यमंत्रित्वकाल में नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। काम ने गति भी पकड़ी परंतु 1988 में उग्रवादियों ने नहर निर्माण में लगे 35 मजदूरों की हत्या कर दी। इसके बाद दो इंजीनियरों की भी हत्या कर दी गयी तो नहर निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया।

– 1990 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुकम सिंह ने नहर निर्माण कार्य किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी। केंद्र ने सीमा सड़क संगठन को यह काम सौंपने का फैसला किया परंतु निर्माण कार्य शुरू न हो पाया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश

हरियाणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2004 में पंजाब को नहर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिये परंतु पंजाब विधानसभा ने 2004 में रावी–ब्यास के सरप्लस पानी पर सभी अंतर–राज्यीय समझौते समाप्त करने का कानून पारित कर दिया। ऐसे कानून की वैधता पर, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना शेष था।

पंजाब का एक और कदम

पंजाब ने मार्च, 2016 में एसवाईएल नहर के लिए पंजाब में एक्वायर की गयी 5376 एकड़ जमीन डि–एक्वायर करने और किसानों के लौटाने का फैसला किया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिए। यह जमीन रोपड़, मोहाली, पटियाला व फतेहगढ़ साहिब में है।

(दै. ट्रि. से साभार)

सम्पादक मंडल

संरक्षक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सम्पादक : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)
सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो॰ : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो॰ : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़
जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932 फैक्स : 0172–2641127
Email : jat_sabha@yahoo.com

Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सम्पादक गुरनाम सिंह ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2–बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27–ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।